सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 03/2017 आर्म्स अपील
पंजीयन दिनांक — 25.07.2017
निर्णय दिनांक — 02.04.2018

1. श्री नरेन्द्र सिंह पिता श्री कुन्दन सिंह झाला, निवासी धरियावद, जिला प्रतापगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट प्रतापगढ़।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री पुष्पेन्द्र सुहालका — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा—18 आयुध अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 21.06.2017
जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

निर्णय

दिनांक 02.04.2018

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा—18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री नरेन्द्र सिंह पिता कुन्दन सिंह झाला, निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 25.10.2012 को नियम 51 के तहत शस्त्र अनुज्ञा हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के समक्ष पेश किया। अपीलार्थी ने आवेदन की आवश्यक सभी नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2012 को जारी किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ चितौड़गढ़ ने यह बताते हुए कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के पत्रांक/प्रताप/जिविशा/आर्म्स/2012/9219 दिनांक 11.12.2012 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में आवेदक को नवीन आर्म्स अनुज्ञा जारी करने की अनुशंषा नहीं

की गई, नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाने का आदेश दिनांक 21.06.2017 को जारी किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2012 पर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा सम्बन्धित विभागों से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उपखण्ड अधिकारी, धरियावद, उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़, उप वन संरक्षक वन्य जीव, चितौड़गढ़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.) जोन, उदयपुर द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.03.2013 को जिला पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़ को आर्म्स लाईसेंस के प्रारूप (क) की पूर्ति हेतु आवेदन किया गया जिसमें सम्पूर्ण (क) प्रारूप का विवरण उनके अनुसार प्रार्थी का चाल–चलन अच्छा होकर लाईसेंस देना उचित माना है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को आर्म्स लाईसेंस के प्रार्थना पत्र की जांच के सम्बन्ध में आवेदन किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.12.2012 में बिना किसी कारण को दर्शाते हुए अपीलार्थी को आर्म्स लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2012 में अनुशंषा नहीं दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा लाईसेंस नहीं दिये जाने के आदेश दिनांक 21.06. 2017 को जारी किये। उक्त आदेश बिना तथ्यों के अवलोकन से पारित किया गया क्योकिं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.12.2012 को पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को जांच हेतु आवेदन किया जिस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2013 को पुलिस अधीक्षक द्वारा लाईसेंस दिया जाना उचित समझा और कोई आपत्ति नहीं की गई। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट को नकारात्मक मानते हुए लाईसेंस आवेदन निरस्त कर दिया गया। अंत में अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को पुनः आदेश प्रदान कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति की जांच कराये जाने का आदेश फरमाने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.12.2012 से शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंषा की गई है। अतः जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने का निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2012 पर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा सम्बन्धित विभागों से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उपखण्ड अधिकारी, धरियावद, उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़, उप वन संरक्षक वन्य जीव, चित्तौड़गढ़ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (वि.शा.) जोन, उदयपुर द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने बाबत अपनी अनापत्ति दी गई। दिनांक 11.12.2012 को जिला पुलिस अधीक्षक की शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं किये जाने की रिपोर्ट से आवेदन पत्र जरीये आदेश दिनांक 21.06.2017 से निरस्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन करने जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.1.2013 से अनापत्ति दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़ को आर्म्स लाईसेंस के प्रारूप (क) के विवरण अनुसार प्रार्थी का चाल–चलन अच्छा होकर लाईसेंस देना उचित माना है। प्रकरण में जांच रिपोर्ट के विरोधाभास होने से प्रकरण में नये सिरे से पुनः जांच कर आदेश पारित किया जानां न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ का आदेश दिनांक 21.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर